<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

(<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 898/1998</u>

<u>अपीलार्थी</u> सुरेन्द्र सिंह राठौर

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

डॉ. राजेश पाण्डे, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री विवेक शर्मा, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 10/05/2012 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 898/1998

अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह राठौर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

डॉ. राजेश पाण्डे, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री विवेक शर्मा, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 10.05.2012)

अपीलार्थी ने यह अपील विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 44/1991 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31/03/1998 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में "अधि.") की धारा 5(1)(डी)/5(2) के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादेश दिया गया था, तथा अर्थदण्ड का व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक गणना में तीन माह के साधारण कारावास का आदेश दिया गया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी, पटवारी हल्का नंबर 3, राजस्व मंडल गौरेला, तहसील- पेंड्रा रोड, जिला- बिलासपुर के पटवारी के रूप में कार्यरत था। दिनांक 27.10.1987 को परिवादी मदन सिंह राठौर (अ.सा.-6) द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ, आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर को एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी./3) दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसके चाचा परेमू उर्फ परेम सिंह राठौर के हिस्से के राजस्व

रिकॉर्ड की प्रति उपलब्ध कराने के बदले उससे 300/- रुपये की मांग कर रहा था। परिवादी का यह आरोप था कि चूंकि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को उक्त रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता था और उसके विरुद्ध कार्रवाई चाहता था, इसलिए उसके द्वारा एक शिकायत की गई थी। पूर्वोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, दिनांक 27.10.1987 को ही स्वतंत्र साक्षियों शरद तिवारी (अ.सा.-4) और डी.एस. मरकाम (परीक्षण नहीं किया गया) की उपस्थिति में प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी./4) तैयार किया गया था। डी.एस.पी., एस.के. वर्मा के नेतृत्व में एक ट्रैप दल का गठन किया गया, 100 रुपये मूल्य के 3 करेंसी नोटों पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाकर परीक्षण का प्रदर्शन किया गया, उक्त करेंसी नोट परिवादी को दिए गए और उसे निर्देश देने के बाद, ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया। चूंकि अभियुक्त/ अपीलार्थी दिनांक 27.10.1987 को अपने निवास पर नहीं था, इसलिए ट्रैप दल पी.डब्ल्यू.डी. विश्राम गृह, पेंड्रा रोड लौट आया, रात वहीं रुका और अगले दिन, दिनांक 18.10.1987 को पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया। यह आरोप है कि लगभग सुबह 11:00 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी अपने घर आया और 2 अन्य व्यक्तियों, गंगाराम पटवारी (अ.सा.-5) और उग्र कुमार सिंह (ब.सा.-2) के साथ बैठा था। उसी समय, परिवादी अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया और तुरंत 15 मिनट बाद वह अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से बाहर आया और ट्रैप दल को संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैप दल ने अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पर छापा मारा। अभियुक्त/अपीलार्थी की तलाशी के दौरान ट्रैप दल को कुछ नहीं मिला और फिर उन्होंने परिवादी से पूछताछ की, जिसके जवाब में परिवादी द्वारा सूचित किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पैसे कंबल के नीचे रखे थे। उक्त राशि प्रदर्श पी./5 के माध्यम से एकत्र की गई, उसके पश्चात ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी./8) तैयार किया गया। फेनोल्फथेलिन परीक्षण किया गया जो न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी./20) द्वारा सकारात्मक सिद्ध हुआ। दिनांक 09.11.1987 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी./21) दर्ज किया गया और मंजूरी (प्रदर्श पी./1) प्राप्त करने के बाद, दिनांक 27.08.1990 को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधि. की धारा 5-(1)(डी)/5(2) के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। देहाती नालिशी प्रदर्श पी./17 दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपने निर्दोष होने तथा

प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक् किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का बचाव यह है कि उसे झूठा फंसाया गया है और घटना की तारीख को उसके द्वारा परिवादी से कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी। अपने प्रकरण के समर्थन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने एक साक्षी उग्र कुमार सिंह (ब.सा.-1) का परीक्षण कराया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और दण्डादेश दिया गया, जैसा कि निर्णय की कंडिका 1 में उल्लेखित है।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कभी भी रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की राशि की मांग और स्वीकृति को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है क्योंकि परिवादी ने स्वयं अपने न्यायालयिक कथन में यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को कभी कोई रिश्वत की राशि नहीं दी थी। उनका तर्क है कि दूषित राशि एक अलग कमरे में बिस्तर पर रखे कंबल के नीचे से बरामद की गई थी और परिवादी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपने अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त राशि कंबल के पास रखा था। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अवैध परितोषण की मांग को साबित करने में विफल रहा है जो इस विशेष प्रावधान के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी सिद्ध करने के लिए एक *अनिवार्य शर्त* है और इसके प्रमाण के अभाव में अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि यदि अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उपधारणा की भी जाती है, तो बचाव पक्ष ने अधिसंभाव्य प्रबलता के आधार पर अपना मामला स्थापित कर दिया है कि अपीलार्थी ने परिवादी से कोई अवैध परितोषण स्वीकार नहीं किया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि परिवादी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। चूंकि राशि कभी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी और न ही उसने उसे छुआ था, इसलिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि राशि अभियुक्त/

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई थी या छुई गई थी। अपनी तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों; **2002 (5) एससीसी 8** में प्रकाशित **सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य**, **2005 12 एससीसी 576** में प्रकाशित **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पूर्णन्दु विश्वास**, **2006 (13) एससीसी 305** में प्रकाशित **वी. वेंकटसुब्बा राव बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरिक्षक आंध्र प्रदेश** और **1975 एससीसी 2 227** में प्रकाशित **सीता राम बनाम राजस्थान राज्य** का अवलंब लिया है।

6. इसके विपरित, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से राशि बरामद हुई है और फेनोल्फथेलिन परीक्षण सकारात्मक रहा है, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध उपधारणा बनती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उसके घर से राशि कैसे बरामद हुई, अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष उसे इस विशेष प्रावधान के तहत दोषसिद्ध करने और दण्डादेश देने के लिए न्यायसंगत एवं उचित हैं और इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

डी.एन. बिल्ले (अ.सा.-1) अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देने वाले साक्षी हैं और उन्होंने मंजूरी देने वाले आदेश (प्रदर्श पी./1) को विधिवत सिद्ध किया है। कृष्णा पाल सिंह (अ.सा.-2) प्रासंगिक समय पर उस जीप के चालक थे जिसका उपयोग ट्रैप दल द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पहुंचने के लिए किया गया था। इस साक्षी को ट्रैप दल के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसने फेनोल्फथेलिन परीक्षण को भी सिद्ध किया है। हालांकि, अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह केवल वाहन का चालक था और उसने किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एस.पी. नामदेव (अ.सा.3) प्रासंगिक समय पर तहसीलदार के रूप में कार्यरत थे व उन्होंने परिवादी द्वारा दिए गए आवेदन पर राजस्व अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया था और परिवादी के आवेदन को प्रदर्श पी./2 के रूप में अनुमोदित किया था। शरद तिवारी (अ.सा.-4) परिवीक्षाधीन वन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और वे ट्रैप के साक्षी हैं, अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुए उन्होंने कथन किया है कि वो

एस.डी.ओ. के निर्देश पर आयुक्त के कार्यालय गए थे और डी.एस.पी. मरकाम से मिले थे। उन्होंने आगे कथन किया है कि उन्हें अगले दिन ट्रैप दल के साथ जाने के लिए बुलाया गया था और तद्नुसार अगले ही दिन वे ट्रैप दल के साथ गौरेला गए, उनकी उपस्थिति में प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी./4) बनाया गया, फेनोल्फथेलिन परीक्षण का प्रदर्शन किया गया और उनकी उपस्थिति में परिवादी ने डी.एस.पी. मरकाम को अपना आवेदन (प्रदर्श पी./3) दिया। उन्होंने आगे कथन किया है कि वह परिवादी था जिसने अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में प्रवेश किया और उसके 10-15 मिनट बाद वह अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से बाहर आया, ट्रैप दल को संकेत दिया और जब ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में दाखिल हुआ, तो वह कुर्सी पर बैठा था और दो अन्य व्यक्तियों के साथ काम कर रहा था, जिनमें से एक पटवारी था और दूसरा राजस्व निरीक्षक। उन्होंने कहा है कि डी.एस.पी. वर्मा के निर्देश पर उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी ली लेकिन पैसे नहीं मिले, फिर परिवादी कमरे के अंदर आया और सूचित किया कि उसने दूसरे कमरे में कंबल के नीचे पैसे रखे हैं। इसके बाद कमरे की तलाशी ली गई और 100 रुपये मूल्य के 3 करेंसी नोट जब्त किए गए। उन्होंने कथन किया है कि फेनोल्फथेलिन परीक्षण किया गया जो सकारात्मक पाया गया और उसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की गईं। कंडिका 12 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी को परिवादी से पैसे मांगते नहीं देखा और न ही उन्होंने परिवादी को अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत देते हुए देखा। उन्होंने आगे कथन किया है कि ट्रैप दल को अपने घर में प्रवेश करते देखने के बाद भी अभियुक्त/अपीलार्थी अविचलित होकर अपना काम कर रहा था और फिर डी.एस.पी. ने अपना परिचय अभियुक्त/अपीलार्थी को दिया। गंगाराम भारद्वाज (अ.सा.-9) वह साक्षी है जिसने घटना के समय घटना स्थल का नक्शा तैयार किया था, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के समय वह राजस्व निरीक्षक पांडे के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में बैठा था और वे कथन तैयार कर रहे थे। उसने आगे कहा है कि उक्त अवधि के दौरान एक किसान उसके घर में घुसा था और अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे यह कहते हुए कुछ समय बाद आने को कहा कि वह कुछ अन्य काम में व्यस्त है और उसके बाद उक्त व्यक्ति लघुशंका के बहाने अभियुक्त/अपीलार्थी के कमरे में घुस गया और लगभग 5 मिनट बाद उस कमरे से बाहर आया और फिर ट्रैप दल के सदस्य वहां पहुंचे। उन्होंने आगे कथन किया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से कुछ नहीं मिला और यहाँ तक कि जब उनके हाथ धुलवाए गए तो कोई रंग दिखाई नहीं दिया। इस स्तर पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। मदन सिंह (अ.सा.-6) परिवादी ने अपने न्यायालयिक कथन में कथन किया है कि प्रासंगिक समय पर, अभियुक्त/अपीलार्थी गाँव के पटवारी के रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यरत था और उसे राजस्व रिकॉर्ड की कुछ प्रतियों की आवश्यकता थी जो अभियुक्त/अपीलार्थी से एकत्र की जानी थीं। उसने कथन किया है कि जब वह अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया था तो वह वहां नहीं था और उसके बाद वह गौरेला में रामविशाल अधिवक्ता से मिला और तब उक्त अधिवक्ता ने उसे सूचित किया कि वह उसे दस्तावेजों की प्रतियां दिलवा देगा। उसने आगे कथन किया है कि अगले दिन वह उक्त अधिवक्ता से मिला जिसने उसे अभियुक्त/अपीलार्थी के पास न जाने की सलाह दी और यह कहकर उसे अपने घर ले गया कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति मंगवा देगा और फिर उससे कुछ दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान लगाने को कहा। इसके पश्चात् उक्त अधिवक्ता उसे बिलासपुर ले आया और बिलासपुर में वह उसे किसी कार्यालय में ले गया और लिपिकों से बात की। उसने कथन किया है कि उक्त कार्यालय में मौजूद व्यक्तियों ने उससे पूछा था कि क्या उसे दस्तावेज मिल गए हैं या नहीं, जिस पर उसने उन्हें सूचित किया कि उसे ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। उसने कथन किया है कि कागज पर उसके अंगूठे का निशान लिया गया और फिर वह अपने घर लौट आया। उसने आगे कथन किया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे यह कहकर विश्राम गृह में रहने का निर्देश दिया था कि कार्यालय के लोग वहां आएंगे। उसने आगे कथन किया है कि यदि विश्राम गृह में 300/- रुपये की मांग की जाती है, तो वही अधिकारियों को दिए जाने हैं और तदनुसार उसने उन्हें 300/- रुपये दे दिए। उसने कथन किया है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में प्रवेश किया और यह कहकर दस्तावेज के लिए अनुरोध किया कि वह उसे देय पारिश्रमिक भी देगा लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे डांटा और प्रति के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। उसने आगे कथन किया है कि इसके बाद उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के घर के दूसरे कमरे में प्रवेश किया और अपने अधिवक्ता के निर्देशानुसार 300/- रुपये की राशि कंबल के नीचे रख दी। उसने कथन किया है कि उसके बाद ट्रैप दल वहां आया और उसने ट्रैप दल को सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे कोई राशि स्वीकार नहीं की है और उसने स्वयं उसे खाट पर रखा है। इस स्तर पर, इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। कृष्णा श्रीवास्तव (अ.सा.-7) जो सुसंगत समय पर एस.डी.ओ. (राजस्व) थे, ने कथन किया है कि उनसे लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी./12 के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी गई थी और जिसके अनुपालन में उन्होंने दिनांक 01.11.1987 को अपना उत्तर प्रदर्श पी./13 दिया था। उन्होंने आगे कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत किया जो प्रदर्श पी./14 है। उन्होंने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, रायपुर को एक शिकायत की गई थी जिसमें कहा गया था कि उसे झूठा फंसाया गया है और उक्त शिकायत की जांच उनके द्वारा की गई थी और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श डी.-1 है। प्रदर्श डी.-1 के अनुसार, परिवादी द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत के प्रकरण में झूठा फंसाने का प्रयास किया गया है। राम दास (अ.सा.-8) जो परिवादी के पिता हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। मधुर सिंह (अ.सा.-9) एक ग्रामीण है, उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। एस.के. वर्मा (अ.सा.-10) जांच अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन मामले का विधिवत समर्थन किया है।

उग्र कुमार सिंह (ब.सा.-1) ने अपने न्यायालयिक कथन में कथन किया है कि परिवादी अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में दाखिल हुआ था और कुछ दस्तावेजों की मांग की थी, हालांकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उन्हें तुरंत नहीं दिया क्योंकि वह कुछ आधिकारिक कार्य कर रहा था। उसने कहा है कि इसके बाद परिवादी ने अभियुक्त/अपीलार्थी से कहा कि वह जल्दी में है और यदि आवश्यक हो तो पैसे का भुगतान कर देगा। उसने कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई राशि नहीं दी गई थी और अपीलार्थी ने विशेष रूप से परिवादी से कहा था कि यदि वह एक अमीर आदमी है तो उसे कुछ समय इंतजार करना चाहिए, वह अपना आधिकारिक कार्य पूरा करेगा और फिर अन्य कार्य करेगा। उसने आगे कहा है कि इसके बाद परिवादी ने लघुशंका के लिए जगह पूछी और अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में दाखिल हुआ और लगभग पांच मिनट बाद बाहर आया। उसने आगे कथन किया है कि कुछ समय बाद, ट्रैप दल वहां पहुंचा, अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी ली लेकिन उनसे कुछ नहीं मिला और जब उनके हाथ धुलवाए गए, तो घोल का रंग नहीं बदला। उसने कथन किया है कि उसके बाद ट्रैप दल ने परिवादी को डांटा और फिर परिवादी ने उन्हें सूचित किया कि उसने पैसे कंबल के नीचे रखे हैं और वही कंबल के नीचे से बरामद किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और साक्षियों के साक्ष्य सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। यहाँ तक कि परिवादी ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी और यह उसका अधिवक्ता था जिसने राजस्व दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का आश्वासन देकर कुछ कोरे कागजों पर उसके अंगूठे का निशान लिया था। उसने कथन किया है कि जब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में प्रवेश किया तो दो अन्य व्यक्ति भी उसके साथ बैठे थे और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था बल्कि उसे दूसरे कमरे में कंबल के नीचे रखा था। जो व्यक्ति अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ उसके घर में बैठे थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि परिवादी

द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दी गई थी और न ही इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार किया गया था। साक्षीगण ने आगे कथन किया है कि जब परिवादी ने कुछ पारिश्रमिक की पेशकश की थी, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह पहले अपना आधिकारिक काम पूरा करेगा और फिर परिवादी का काम करेगा। यहाँ तक कि शरद तिवारी (अ.सा.-4), स्वतंत्र साक्षी ने भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि न तो उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को किसी रिश्वत की मांग करते देखा और न ही परिवादी को अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत की पेशकश करते देखा। साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि राशि अभियुक्त/अपीलार्थी के घर के दूसरे कमरे से तब बरामद की गई थी जब उसे कंबल के नीचे रखा गया था। इस प्रकार, यदि परिवादी मदन सिंह (अ.सा.-6) और साक्षियों, अर्थात् शरद तिवारी (अ.सा.-4), गंगा राम (अ.सा.-5) और उग्र कुमार सिंह (ब.सा.-1) के साक्ष्य को एक साथ देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। **2010 (4) एससीसी 450** में प्रकाशित **बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य**, के मामले में, शीर्ष न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मांग के अभाव में स्वीकृति और अवैध परितोषण को अभियोजन द्वारा सिद्ध किए बिना, केवल उससे दूषित राशि की बरामदगी के आधार पर, अभियुक्त को विशेष प्रावधान के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण अभियुक्त/अपीलार्थी के लिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि धन कभी उससे बरामद नहीं हुआ था और वहीं दूसरे कमरे से बरामद किया गया था जहाँ उसे कंबल के नीचे रखा गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यह परिवादी ही था जिसने अभियुक्त/अपीलार्थी को यदि उसका काम तुरंत पूरा हो जाता है, पारिश्रमिक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया था कि वह पहले अपना आधिकारिक कार्य पूरा करेगा और फिर परिवादी का कार्य करेगा। इस प्रकार इन परिस्थितियों में और यह ध्यान में रखते हुए कि परिवादी ने स्वयं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और बाद में उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और ऐसा होने पर अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन में और उसके आधार पर आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपने निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की है, जिसे विधि की दृष्टि में यथावत नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह पहले से ही जमानत पर है और इसलिए उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा जमा की गई अर्थदण्ड की राशि उसे वापस कर दी जाए।

हस्ताक्षर/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा